

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज.)

क्रमांक : स्था0 / 2021 / 72.

दिनांक : 03 मई, 2021

--: आ दे श ::--

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : 07 / पी.आई./2021 दिनांक 02.05.2021 की पालना में बून्दी न्यायक्षेत्र हेतु परिपत्र की अनुपालना में बून्दी न्यायक्षेत्र के निम्न लिखित न्यायालयों के लिए दिनांक 04.05.2021 से 17.05.2021 तक कॉलम संख्या 03 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को कॉलम संख्या 02 में अंकित तिथियों के अनुसार प्रस्तुत होने वाले matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अधिकृत किया जाता है :-

बून्दी मुख्यालय

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01 व 02 बून्दी(केम्प के0पाटन व केम्प नैनवाँ) तथा न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा.-अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, बून्दी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04, 05, 06 व 07 मई, 2021 तथा राजपत्रित अवकाशों में 08 व 09 मई, 2021	श्रीमती अचला आर्य, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-01, बून्दी	adj1-bun-rj@ hcraj.nic.in	7597431133 9461331202
	10 व 11 मई, 2021	श्रीमती रेखा वधवा, विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा. -अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, बून्दी	scst-bun-rj@ hcraj.nic.in	9602766296 9784387090
	12, 13, 15 व 17 मई, 2021 तथा राजपत्रित अवकाशों में 14 व 16 मई, 2021	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02, बून्दी	adj2-bun-rj@ hcraj.nic.in	9214573080 9214831997

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-01 व 02, बून्दी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04, 05, 06, 07, 10 व 11 मई, 2021	श्रीमती शहनाज परवीन, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-01, बून्दी	mact-bun-rj@ hcraj.nic.in	9694409761 9414176135
	12, 13, 15 व 17 मई, 2021	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-02, बून्दी	mact2-bun-rj@ hcraj.nic.in	9414745095 8619439660

विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या 01 व 02 बून्दी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04, 05, 06 व 07 मई, 2021	श्रीमती अलका बंसल, विशेष न्यायाधीश, पोक्सो संख्या संख्या-01, बून्दी	pocso1-bun-rj@hcraj.nic.in	9414946940 8952905792
	10, 11, 12, 13, 15 व 17 मई, 2021	श्री अरूण जैन, विशेष न्यायाधीश, पोक्सो संख्या संख्या-02, बून्दी	pocso2-bun-rj@hcraj.nic.in	9079697025 9829826511

बून्दी न्यायक्षेत्र में स्थित पारिवारिक न्यायालय, बून्दी व किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी दिनांक 04.05.2021 से 17.05.2021 तक कार्य दिवसों में नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा न्यायालय/कार्यालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक: 07/पी.आई./2021 दिनांक 02.05.2021 तथा परिपत्र क्रमांक : 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 की पालना में कार्य सम्पादित होगा।

बून्दी मुख्यालय पर स्थित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर तक के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04 व 05 मई, 2021	सुश्री आशिमा माथुर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02, बून्दी	acjtm2-bun-rj@hcraj.nic.in	9413260289 9950523223
	06 व 07 मई, 2021	श्री रजत गुप्ता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-03, बून्दी	acjtm3-bun-rj@hcraj.nic.in	9929808190 8290388546
	10 व 11 मई, 2021	श्री सुनील कुमार, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	cjtm-bun-rj@hcraj.nic.in	9460024103 9413260680
	12 व 13 मई, 2021	श्रीमती रेनु शकीत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	acjtm-bun-rj@hcraj.nic.in	9413088288 9251382682
	15 व 17 मई, 2021	श्री मुनेश चन्द यादव, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	cjtm-bun-rj@hcraj.nic.in	9928585321 9414268610

नोट:- दिनांक 04 से 07 मई, 2021 तक की अवधि में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से उक्त अवधि में इनके न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु उपर्युक्तानुसार न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है।

बून्दी मुख्यालय से बाहर स्थित मुख्यालय जहाँ पर एक से अधिक न्यायिक अधिकारी पदस्थापित है वहाँ पर उनके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

नैनवाँ मुख्यालय

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04 से 07 मई, 2021 तक	श्री मयंक पालीवाल, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवाँ	acjmnai-bun-rj@hcraj.nic.in	9460863926 9950566088
	10, 11 से 13 मई, 2021 तक तथा 15 व 17 मई, 2021	श्रीमती गार्गी चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवाँ	cjjmnai-bun-rj@hcraj.nic.in	9460664301 8503907763

के0पाटन मुख्यालय

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04 से 07 मई, 2021 तक	श्री दिनेश कुमार शर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, के0पाटन	cjjmkes-bun-rj@hcraj.nic.in	9414946956 9461331091
2	10, 11 से 13 मई, 2021 तक तथा 15 व 17 मई, 2021	श्री मोहित द्विवेदी, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के0पाटन	acjmkkes-bun-rj@hcraj.nic.in	9414745095 9413085927

तालेड़ा मुख्यालय

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04 से 07 मई, 2021	श्रीमती कल्पना पारीक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा	cjjmtal-bun-rj@hcraj.nic.in	8952860163 9024851457
	10, 11 से 13 मई, 2021 तक तथा 15 व 17 मई, 2021	श्री लव प्रजापति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा	gntal-bun-rj@hcraj.nic.in	9785462461 8003470134

बून्दी मुख्यालय से बाहर स्थित मुख्यालय जहाँ पर एक ही न्यायिक अधिकारी पदस्थापित है वहाँ पर उनके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले समस्त matters of urgent nature की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

लाखेरी तथा इन्द्रगढ़ मुख्यालय के matters of urgent nature की सुनवाई सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी द्वारा ही निम्नानुसार की जायेगी

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	04 से 07 मई, 2021 तक, 10 से 13 मई, 2021 तक तथा 15 व 17 मई, 2021	श्री अजय प्रताप सिंह, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी	For Lakheri : cjjmlak-bun-rj@hcraj.nic.in For Indergarh : cjjmind-bun-rj@hcraj.nic.in	For Lakheri : 9460962660 9636201033 For Indergarh : 6376681439 9887794873

हिण्डोली मुख्यालय

क्र. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आईडी	वीडियो कान्फ्रेंसिंग / टेली कान्फ्रेंसिंग हेतु मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	10 से 13 मई, 2021 तक तथा 15 व 17 मई, 2021	श्रीमती कमला बाँयल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली	cjmhin-bun-rj@hcraj.nic.in	9413984923 9460143626

- नोट :-1. न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा उक्त परिपत्र की अक्षरशः अनुपालना की जाएगी। इसके अलावा केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशों, गाईड लाईन्स तथा एस.ओ.पी(Standard Operating Procedure) की भी कठोर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त परिपत्रानुसार Microsoft Teams/Jitsi/Google Meet Applications या अन्य सुविधाजनक माध्यम से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी। न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड यथासंभव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया जावे।
 - इस अवधि के दौरान आयोजित होने वाले समस्त कैम्प न्यायालय निरस्त समझे जाएंगे तथा कैम्प न्यायालयों के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण बून्दी मुख्यालय स्थित खुलने वाले समकक्ष कैडर/रैंक के न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।
 - नवीन अति आवश्यक प्रकृति के मामलों का प्रस्तुतीकरण ई-फाईलिंग न्यायालय द्वारा अधिसूचित ई-मेल आई.डी के माध्यम से इस शर्त पर किया जायेगा कि नियमित कार्य प्रारम्भ होने पर उसकी हार्ड कॉपी की पत्रावली संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में प्रस्तुतीकरण करने वाले पक्षकार/अधिवक्ता अपने व्हाट्स एप नम्बर/स्काईप अकाउन्ट नम्बर/ई मेल आईडी अंकित करेंगे। प्रत्येक न्यायालय के ई-मेल आई.डी तथा फोन नम्बर को ऊपर वर्णितानुसार अधिसूचित कर दिया गया है।
 - प्रत्येक पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय के रीडर/जिम्मेदार मंत्रालयिक कर्मचारी को पाबंद करेंगे कि वे न्यायालय की अधिसूचित ई-मेल तथा ऑफिशियल सिम पर निरन्तर निगरानी रखकर ई-मेल प्राप्त होते ही उसका प्रिंट लेकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत करेंगे।
 - सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिन्हें अत्यावश्यक कार्य के लिए अधिकृत किया गया है वे उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों का यथा संभव उसी दिन निस्तारण करके आदेश को उनके द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात् सी.आई. एस. पर तुरन्त अपलोड करेंगे।
 - पीठासीन अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता/रोटेशन अनुसार कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। सभी कार्मिक जिनकी कार्य हेतु ड्यूटी नहीं लगाई गई है, वे अपने आवास पर उपलब्ध रहेंगे।
 - सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक प्रकृति के ऐसे प्रकरण-(1) जिनका निस्तारण नहीं हो सका है, अथवा (2) जिनमें आगामी तिथि इस अवधि में ही नियत है, ऐसे प्रकरणों की पत्रावलियाँ आगामी दिनांक की सुनवाई के लिए नामित न्यायालय को सुपुर्द करेंगे। ऐसे प्रकरण जो निस्तारित हो चुके हैं अथवा जिनमें सुनवाई की तिथि इस अवधि के बाद निश्चित है, उनकी पत्रावलियाँ मय सूची सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को बाद रसीद सुपुर्द की जाये एवं रसीद की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाई जाये।

9. जिन पीठासीन अधिकारीगण को matters of urgent nature की सुनवाई/कार्य निष्पादन कार्य के लिए ऊपर वर्णितानुसार अधिकृत किया गया उनके न्यायालय ही इस अवधि के दौरान कार्यरत होकर वे पीठासीन अधिकारीगण ही अपने-अपने न्यायालय में कार्य करेंगे। शेष न्यायालयों, विशेष न्यायालयों व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उनके न्यायालयों के कर्मचारीगण मुख्यालय पर अपने आवास पर ही उपलब्ध रहेंगे तथा अपना मोबाईल फ़ोन ऑन रखेंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। अधिकारीगण व कार्मिक किसी भी स्थिति में बिना अनुमति या स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।
10. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 438, 439 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा तलब करने पर उक्त न्यायालय में भिजवाये जाने हेतु अपने-अपने न्यायालयों के एक मंत्रालयिक कर्मचारी को आवश्यक रूप से पाबन्द करें।
11. संबंधित अधिकृत न्यायिक अधिकारी के द्वारा ड्यूटी के दिवस न्यायिक कार्य सम्पादन के उपरान्त व अगले कार्य दिवस को अन्य अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य प्रारम्भ करने के मध्य की अवधि में अत्यावश्यक प्रकृति का न्यायिक कार्य उसी पीठासीन अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा।
12. अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को छोड़कर दिनांक 04.05.2021 से दिनांक 17.05.2021 के कार्य दिवसों हेतु सामान्य प्रकरणों में कॉमन डेट सुनिश्चित की जावेगी व संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट्स व समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्तगण की तारीख पेशी पृथक से विधिनुसार सुनिश्चित कर सीआईएस में दिनांक 04.05.2021 को ही 08.00 ए.एम. तक अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगे व उनके न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे व एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित बार एसोसिएशन को सूचनार्थ उसकी प्रति जरिये ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
13. इस अवधि के दौरान के राजकीय अवकाशों के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा जारी आदेश में निर्देशित अधिकारीगण द्वारा की जाएगी।
14. इस अवधि के दौरान अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण के कार्यालय का लैण्ड लाईन नम्बर एवं ऊपरवर्णित मोबाईल नम्बर, कार्यालय समय के दौरान हैल्प डेस्क के रूप में भी कार्य करेगा। उपरोक्त आदेश में वर्णित मोबाईल नम्बर वाले कार्मिकगण नियत दिनांक को कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, किन्हीं कारणवश इनमें से किसी कार्मिक के उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा वीडियो कान्फ़ेसिंग/टेली कान्फ़ेसिंग के लिए अन्य कार्मिक का मोबाईल नम्बर तुरन्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, जिसकी सूचना संबंधित बार एसोसिएशन को आवश्यक रूप से तुरन्त दी जायेगी।
15. अधिकृत न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्य उपस्थित लिंक अधिकारी/अग्रिम लिंक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
16. अध्यक्ष, मोनेटरिंग कमेटी, कोविड-19 जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी प्रत्येक कार्य दिवस में सम्पूर्ण बून्दी न्यायक्षेत्र की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये दूरभाष मौखिक व अत्यावश्यक मामलों में लिखित में जरिये ई-मेल प्रेषित करेंगे।

03/05/2021


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0/2021/1454-1501

दिनांक : 03/05/2021

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-01/02, बून्दी
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 संख्या- 01/02 बून्दी.
5. अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश, संख्या-01/02, बून्दी(केम्प के0पाटन/नैनवाँ)
6. विशिष्ट न्यायाधीश, अ0जा0-अ0ज0जा0(अ0नि0) प्रकरण, बून्दी.
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी.
9. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/नैनवाँ/केशवरायपाटन.
10. अध्यक्ष, नोवल कोरोना वायरस(कोविड 19) संक्रमण रोकथाम समिति, बून्दी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी)
11. प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी.
12. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/नैनवाँ/लाखेरी/इन्द्रगढ़/केशवरायपाटन/हिण्डोली/तालेड़ा.
13. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01/02/03, बून्दी.
14. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा.
15. जिला कलक्टर, बून्दी.
16. जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी.
17. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, बून्दी/लोक अभियोजक, बून्दी/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक, बून्दी
18. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी/उप कारागृह, नैनवाँ
19. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बून्दी/नैनवाँ/के0पाटन/लाखेरी/इन्द्रगढ़/हिण्डोली/तालेड़ा
20. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा/नजारत शाखा); प्रोटोकॉल अधिकारी/रीडर ग्रेड-प्रथम/कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, बून्दी.
21. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बून्दी को जिला न्यायालय, बून्दी की वेबसाईट पर अपलोड व परिपत्रानुसार अन्य कार्य किये जाने हेतु।
22. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बून्दी.
23. रक्षित पत्रावली।

 03/05/2021

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)